

**आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और  
समामेलन) विनियम, 2024**  
**Exposure Draft of IRDAI (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and  
Amalgamation of Indian Insurance Companies) Regulations, 2024**

आईआरडीएआई द्वारा की जा रही विनियमों की व्यापक समीक्षा के भाग के रूप में, व्यवसाय करने की सुगमता में वृद्धि करने और हितधारकों के लिए अनुपालन के भार को कम करने के लिए और साथ ही, यह सुनिश्चित करते हुए कि पालिसीधारकों हितों का संरक्षण निरंतर जारी रहे, बीमा परिषदों से कहा गया कि वे अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। परिषदों ने विनियम समीक्षा समिति (आरआरसी) का गठन किया। उक्त आरआरसी ने निम्नलिखित विनियमों का समेकन करने के बाद आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और सामामेलन) विनियम, 2024 की सिफारिश की:

As part of the comprehensive review of Regulations being undertaken by the IRDAI, to enhance the ease of doing business and also reduce compliance burden for stakeholders while also ensuring that interests of policyholders continues to be protected, Insurance Councils were asked to submit their recommendations. Councils constituted the Regulations Review Committee (RRC). The RRC recommended IRDAI (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and Amalgamation of Indian Insurance Companies) Regulations, 2024 after consolidating the following regulations:

- क. आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022
  - a. IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2022
  - ख. आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2022
    - b. IRDAI (Other Forms of Capital) Regulations, 2022
    - ग. आईआरडीएआई (समामेलन पर शेयरधारकों या सदस्यों को क्षतिपूर्ति के निर्धारण का तरीका) विनियम, 2021
      - c. IRDAI (Manner of Assessment of Compensation to Shareholders or Members on Amalgamation) Regulations, 2021
      - घ. आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2015
        - d. IRDAI (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting other than Life Insurance business) Regulations, 2015
        - ङ. आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2015
          - e. IRDAI (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting Life Insurance business) Regulations, 2015
          - च. आईआरडीए (जीवन बीमा व्यवसाय के सामामेलन और अंतरण की योजना) विनियम, 2013
            - f. IRDA (Scheme of Amalgamation and Transfer of Life Insurance Business) Regulations, 2013
            - छ. आईआरडीए (साधारण बीमा व्यवसाय के सामामेलन और अंतरण की योजना) विनियम, 2011
              - g. IRDA (Scheme of Amalgamation and Transfer of General Insurance Business) Regulations, 2011

आरआरसी की सिफारिशों पर उपयुक्त रूप से विचार करने के बाद, आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और समामेलन) विनियम, 2024 का प्रारूप तैयार किया गया है। उपर्युक्त प्रारूप में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं :

After suitable consideration of the recommendations of the RRC, the draft of IRDAI (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and Amalgamation of Indian Insurance Companies) Regulations, 2024 has been prepared. The following are some of the major changes proposed in the said draft:

- क. विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के अधीन शेयर बाजारों में बीमाकर्ताओं के शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए आईआरडीएआई के पूर्व-अनुमोदन की अपेक्षा को हटाना।
    - a. Removal of requirement of prior-approval of the IRDAI for listing of shares of insurers on stock exchanges subject to compliance of specified conditions.
  - ख. बीमाकर्ता या शेयरधारक के वित्तीय संकट में होने की स्थिति में अथवा बीमाकर्ताओं या शेयरधारकों के समामेलन को सुसाध्य बनाने के लिए अवरुद्धता अवधि (लाक-इन पीरियड) के शिथिलन के लिए समर्थकारी व्यवस्था।
    - b. Enabling Provision for relaxation of lock-in period in case the insurer or the shareholder is in financial distress or to facilitate amalgamation of insurers or shareholders.
  - ग. नये पंजीकरण की अपेक्षा करनेवाले आवेदकों के पूँजी-विन्यास के संबंध में अधिक स्पष्टता देना।
    - c. Provide more clarity on capital structure of the applicants seeking new Registration.
  - घ. शेयरों के अंतरण के लिए पूर्व-अनुमोदन की अपेक्षा की प्रयोज्यता के संबंध में अधिक स्पष्टता देना।
    - d. Provide more clarity on applicability of requirement of prior- approval for transfer of shares.
3. आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और समामेलन) विनियम, 2024 का एक्सपोज़र प्रारूप अनुबंध क के रूप में संलग्न है। उक्त एक्सपोज़र प्रारूप के संबंध में विभिन्न हितधारकों और जनसाधारण की राय/टिप्पणियाँ आमंत्रित हैं। टिप्पणियाँ/सुझाव, यदि कोई हों, 23 फरवरी, 2024 को या उससे पहले श्री निर्मल जैन को [nirmal.jain@irdai.gov.in](mailto:nirmal.jain@irdai.gov.in) पर तथा उनकी एक प्रति श्री महेश अग्रवाल को [maheshagarwal@irdai.gov.in](mailto:maheshagarwal@irdai.gov.in) पर अनुबंध ख के अनुसार दिये गये फार्मेट (इसके साथ संलग्न) में भेजे जाएँ।

The exposure draft of the IRDAI (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and Amalgamation of Indian Insurance Companies) Regulations, 2024 is enclosed herewith as Annexure A. The views/comments of the various stakeholders and the general public are invited on the exposure draft. The comments/suggestions, if any, may be sent on or before 23<sup>rd</sup> February, 2024 to Mr. Nirmal Jain at [nirmal.jain@irdai.gov.in](mailto:nirmal.jain@irdai.gov.in) with a copy to Mr. Mahesh Agarwal at [maheshagarwal@irdai.gov.in](mailto:maheshagarwal@irdai.gov.in) in the format as per Annexure B (attached herewith).

\*\*\*